तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-11-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब दावा का अवलोकन उपरान्त हमारे मत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण पर्व नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

दावा संख्या 79 / 2023
दायरा दिनांक 27.09.2023

बउनवान

1. गोविन्द सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
2. बालराज सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. नारायण सिंह आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी फजलू वाली गली, राजपूत कॉलोनी, चांदना होटल के पीछे नैंनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान।
2. सुरेन्द्र सिंह हाड़ा आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पाण्डेय सर्किल के पास, आजाद नगर भीलवाड़ा जिला भिलवाडा, राजस्थान।
3. अंजू कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवास प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
4. विजयलक्ष्मी पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
5. राजेश कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
6. राजश्री कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
7. हेमकंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
8. कविता कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान।
9. अमरदीप पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।
10. कुलदीप सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।
11. गीता सिंह पत्नी स्व0 शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

12. श्रीमती हेमकंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी स्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी अडीमलजी का खेडा, ठिठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
13. श्रीमती विचित्र कंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी अडीमलजी का खेडा, ठिठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
14. श्रीमती बृजेश कंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी स्व0 राम सिंह जाति राजपूत निवासी मेडता जक्शंन जिला नागौर, राजस्थान।
15. भंवर बाई पुत्री डूंगर सिंह पत्नी पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी मेहन्दीबाग कारीगरो की गली, टोंक जिला टोंक, राजस्थान।
16. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद इन्द्राज दुरस्ती एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

अधिवक्ताः—1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन (अधिवक्ता वादीगण)
2 श्री गौरशंकर सैनी (अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 लगायत 8, 12 लगायत 14)
3. प्रतिवादी सं 9 लगायत 11, 15, 16(अनुपस्थित)

दिनांकः— 27.11.2024

निर्णय

वादीनी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अराजी संख्या 181 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 456 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा किता कुल 2 कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पंचीपला पटवार हल्का रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। इस आराजी के नये खसरा संख्या 264 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 647 रकबा 1.65है0, खसरा संख्या 648 रकबा 2.00है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71है0 कायम हुए है। इस आराजी के कानूनी खातेदार वादीगण है। खातेदार के रूप में ही वादीगण इस आराजी पर काबिज है। उक्त वाद विषयक आराजी के मूल खातेदार श्री उम्मेद सिंह आ0 भोपाल सिंह जी जाति राजपूत निवासी पंचीपला थे। मूल खातेदार उम्मेद सिंह जी के देहांत होने के पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय विस्तृत जांच की जाकर दिनांक 30.06.1989 को मूल खातेदार उम्मेद सिंह के वारिस राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा मृतक उम्मेद सिंह के वारिस राधो सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित करने के आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम अंकित किया गया था। मृतक उम्मेद सिंह जी के वारिस राधो सिंह का देहांत होने पर उनके वारिस वादीगण का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दिनांक 28.05.1993 को

उपखण्ड अधिकारी
नाकेरी (बून्दी)

कत किया गया है। इस प्रकार से वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के कानूनी खातेदार है और उसी रूप में काबिज है। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही असावधानी व कर्तव्यहीनता के कारण गलती से राजस्व जमाबंदी में वादीगण के स्थान पर राधो सिंह भंवर सिंह, डूंगर सिंह, फतेह सिंह, सुमेर सिंह का नाम भी अंकित कर दिया है जो पूर्ण रूप से कानूनी रूप से प्रारंभिक शून्य है। भंवर सिंह, डूंगर सिंह, फतेह सिंह, सुमेर सिंह का देहांत हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादीगण है। राधो सिंह के वारिस वादीगण है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जाने से उनका विवादित आराजी के संबंध में कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है न ही इससे वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वादीगण इस आराजी के खातेदार है और इसी रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वादीगण के हक में इस आशय का अधिकार है कि राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 का नाम विलोपित फरमाया जावे और सम्पूण भूमि पर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित फरमाया जावे। जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 में नामांतकरण संख्या 103 दिनांक 30.07.1989 में मृतक उम्मेद सिंह के स्थान पर राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम दर्ज करने का इन्द्राज अंकित है एवं इसके पश्चात् दिनांक 28.05.1993 से मृतक राधो सिंह जी के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित हुआ है। राजस्व अधिकारियों की घोर लापरवाही असावधानी से पूर्वत राजस्व जमाबंदी में वादीगण का नाम बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये अधिकारहीन तरीके से विलोपित कर भंवर सिंह, डूंगर सिंह, सुमेर सिंह, फतेह सिंह, राधो सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा सकता। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया उक्त इन्द्राज वादीगण के अधिकारो के प्रति शून्य घोषित किये जाने योग्य है। पूर्व में वर्ष 2018 में वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती बाबत् माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी के समक्ष इसी विवादित अराजी के बाबत् पेश किया था। वाद में विवादित अराजी बाबत जो अधिकार वादीगण के हक में कानूनी रूप से उन अधिकारों का विस्तार पूर्वक अंकन वाद पत्र में किया था। वादीगण द्वारा जो कानूनी अधिकार पूर्व के वाद पत्र में अंकित किये गये थे उन अधिकारों को कानूनी रूप से सही मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 04.07.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था और वादीगण को विवादित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित कर दिया था। इस वादपत्र में वादीगण की जानकारी के अनुसार सुमेर सिंह पत्नी व पुत्री का नाम दावे में अंकित किया था, अन्य वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ना होने से वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया था। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादीगण का नाम तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं थे इसलिए उनको तत्समय पक्षकार नहीं बनाया जा सका। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मूल कंवर पत्नी भंवर सिंह का देहान्त हो चुका है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक उनका नाम दर्ज है। वादीगण की जानकारी के अनुसार प्रतिवादी 1 व 2 मूल कंवर के वारिसान है इसलिए उन्हे वाद में पक्षकार बनाया है। पूर्व के अधिकार घोषणा के दावा डिक्री से सुमेर सिंह के वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नी रूप पाबंद है। पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में नामांतकरण दिनांक 14.08.2023 को नामांतकरण संख्या 600 के मार्फत खोला जाकर जमाबंदी तैयार की गयी जिससे वादीगण को पहली बार पता चला कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम भी शेष दर्ज हो रहे है जिससे वाद कारण दिनांक 14.08.2023 से लगातार पैदा होता चला आ रहा है। इसिलए पुनः प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किये जाने बाबत यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित होने से इस स्थिति का नाजायज लाभ प्रतिवादीगण उठाना चाहते है और भूमि को येन केन प्रकेरण विक्रय करने पर आमादा है और भूमि को रहन करने पर आमादा है। वादीगण विवादित आराजी पर खातेदार के रूप में काबिज है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 वादीगण के कब्जे व खातेदारी अधिकारों में अवरोध उत्पन्न करना चाहते है व खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने पर आमादा है इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वाद विषयक आराजी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 का नाम विलोपित फरमाया जावे। वादीगण का नाम राजस्व जमाबंदी में प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार के रूप में अंकित फरमाया जावे और इसी प्रकार के इन्द्राज दुरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी विषयक आराजी के किसी भी हिस्से को किसी प्रकार से रहन, दान, बय हस्तान्तरण नहीं करे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज कर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 9 लगातय 11 व 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं 1,2 के अधिवक्ता ने वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने में अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादीगण 3 लगातय 8 व प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 ने इकबालिया जावाब जेश कर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री दिये जाने में अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का विरोध नहीं करने से पत्रावली में तनकी कायम करने आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गयी। वादी बलराज सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श–2 नकल निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 04.07.2023, प्रदर्श–3 वाद डिक्री, प्रदर्श–4 नकल वाद पत्र आदेशिका, प्रदर्श–5 नकल वाद पत्र, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2046–49, प्रदर्श–8 खसरा मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–9 नकल नामांतकरण संख्या 103, प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श करवाये। पत्रावली बहस में नियत की गयी।

पत्रावली पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दोराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी के मूल खातेदार श्री उम्मेद सिंह आ0 भोपाल सिंह जी जाति राजपूत निवासी पंचीपला थे। मूल खातेदार उम्मेद सिंह जी के देहांत होने के पश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय विस्तृत जांच की जाकर दिनांक 30.07.1991 को मूल खातेदार उम्मेद सिंह

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वारिस राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा मृतक उम्मेद सिंह के वारिस राधो सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित करने के आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में राधो सिंह दत्तक पुत्र माधो सिंह का नाम अंकित किया गया था। मृतक उम्मेद सिंह जी के वारिस राधो सिंह का देहांत होने पर उनके वारिस वादीगण का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दिनांक 28.05.1993 को अंकित किया गया है। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही असावधानी व कर्तव्यहीनता के कारण गलती से राजस्व जमाबंदी में वादीगण के स्थान पर राधो सिंह भंवर सिंह, डूंगर सिंह, फतेह सिंह, सुमेर सिंह का नाम भी अंकित कर दिया है जो पूर्ण रूप से कानूनी रूप से प्रारंभिक शून्य है। भंवर सिंह, डूंगर सिंह, फतेह सिंह, सुमेर सिंह का देहांत हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादीगण है। राधो सिंह के वारिसान वादीगण है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जाने से उनका विवादित आराजी के संबंध में कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है न ही इससे वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वादीगण इस आराजी के खातेदार है और इसी रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल रहना चाहिए। उक्त वाद बाबत् प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व में वर्ष 2018 में वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती बाबत् माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी के समक्ष इसी विवादित अराजी के बाबत् पेश किया था। वाद में विवादित अराजी बाबत जो अधिकार वादीगण के हक में कानूनी रूप से उनके अधिकारों का विस्तार पूर्वक अंकन वाद पत्र में किया था। वादीगण द्वारा जो कानूनी अधिकार पूर्व के वाद पत्र में अंकित किये गये थे उन अधिकारों को कानूनी रूप से सही मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 04.07.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय डिक्री किया गया था और वादीगण को विवादित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित कर दिया था। इस वादपत्र में वादीगण की जानकारी के अनुसार सुमेर सिंह पत्नी व पुत्री का नाम दावे में अंकित किया था, अन्य वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ना होने से वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया था। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादीगण का नाम तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं थे इसलिए उनको तत्समय पक्षकार नहीं बनाया जा सका इसलिए पुनः वाद पेश करना पड़ा। अन्त में वादीगण द्वारा वाद स्वीकार कर वाद पत्र में अंकित अनुतोष वादीगण को दिए जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर नकल जमाबंदी सम्वत् 2046–49 ग्राम पचीपला पटवार क्षेत्र रेबारपुरा तहसील के0पाटन खतौनी संख्या 6 में मूल खातेदार उम्मेदसिंह के वारिस के रूप में नामांतकरण संख्या 103 दिनांक 30.07.1991 से उम्मेदसिंह के स्थान पर राधोसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 7 दिनांक 28.05.1993 से मृतक राधोसिंह के स्थान पर मृतक के वारिसान वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया जाता है। दौराने सेटलमेंट जमाबंदी बनाते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुआ इस बाबत् संलग्न दस्तावेजात से यह भी प्रकट नहीं होता है कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से वादीगण का नाम विलोपित हुआ हो। सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदियों में वादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज होना एवं सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होना राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की सहवन से त्रुटि होना प्रतीत होता है। संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी इसी वाद विषयक आराजी का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण के पक्ष में किया गया है जिससे वादीगण के वाद पत्र को बल मिलता है। वादीगण के प्रस्तुत जवाब दावे का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं करने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 647 रकबा 1.65है0, खसरा संख्या 648 रकबा 2.00है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71है0 वाके ग्राम पंचीपला पटवारा मण्डल रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने नाम का लाभ उठाकर वाद विषयक कृषि भूमि को रहन,बैचान नहीं करेंगे ऐसा न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। रहन संबंधी इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

1. गोविन्द सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
2. बालराज सिंह आत्मज श्री राधो सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचीपला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. नारायण सिंह आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी फजलू वाली गली, राजपूत कॉलोनी, चांदना होटल के पीछे नैंनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी राजस्थान।
2. सुरेन्द्र सिंह हाड़ा आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पाण्डेय सर्किल के पास, आजाद नगर भीलवाड़ा जिला भिलवाडा, राजस्थान। वगै0
3. अंजू कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवास प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी, राजस्थान। वगै0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 79/दावा/2023 **सन् .....**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू...प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री गौरशंकर सैनी..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 647 रकबा 1.65है0, खसरा संख्या 648 रकबा 2.00है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71है0 वाके ग्राम पंचीपला पटवारा मण्डल रेबारपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने नाम का लाभ उठाकर वाद विषयक कृषि भूमि को रहन,बैचान नहीं करेंगे ऐसा न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। रहन संबंधी इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....
..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **27 माह 11 सन् 2024** को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
मुहर ओहदा लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

4. विजयलक्ष्मी पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01,
राजस्थान।

5. राजेश कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैं...
राजस्थान।

6. राजश्री कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा
राजस्थान।

7. हेमकंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़
राजस्थान।

8. कविता कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 04, गेट नम्बर 01, नैंनवा रोड़ बून्दी
राजस्थान।

9. अमरदीप पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।

10. कुलदीप सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।

11. गीता सिंह पत्नी स्व0 शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।

12. श्रीमती हेमकंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी स्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी अडीमलजी का खेडा, ठिठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

13. श्रीमती विचित्र कंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी अडीमलजी का खेडा, ठिठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

14. श्रीमती बृजेश कंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नी स्व0 राम सिंह जाति राजपूत निवासी मेडता जक्शंन जिला नागौर, राजस्थान।

15. भंवर बाई पुत्री डूंगर सिंह पत्नी पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी मेहन्दीबाग कारीगरो की गली, टोंक जिला टोंक, राजस्थान।

16. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)